पत्रांक...बि॰प्र॰सु॰मि॰सो॰/बैठक-02/2011., 1472

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार,
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक- 27.12.2013

विषयः- **बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः- **सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 13660, दिनांक 15.12.2011**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने हेतु पूर्व निर्धारित पात्रता DOEACC Society से न्यूनतम BCC का प्रमाण-पत्र के विकल्प के बिन्दु पर निर्णय लिया गया कि निम्न में से कम्प्यूटर प्रशिक्षण संबंधी कोई एक अहर्ता धारित करने वाले को पूर्व निर्धारित अधिकतम राशि **₹60000.00** (साठ हजार) के अधीन लैपटॉप क्रय करने पर राशि का भुगतान किया जा सकता है:-

I. पूर्व की भांति DOEACC द्वारा निर्गत न्यूनतम BCC प्रमाण-पत्र अथवा DOEACC से इतर किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा BCC से उच्चतर प्रशिक्षण की उपाधि/प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर।

II. NILET अथवा इससे संबद्ध कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत M.S. Office यथा M.S.-Word, M.S.-Excel, M.S.-Power Point, Internet के आधारभूत प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर।

III. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कम्प्यूटर संस्थान द्वारा निर्गत M.S. Office यथा M.S.-Word, M.S.-Excel, M.S.-Power Point, Internet के आधारभूत प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर।

दावा प्रस्तुत करने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी की आयु दावा प्रस्तूत करने के वर्ष में 01 अगस्त की तिथि को आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में वर्णित शेष शर्त्ते यथावत रहेंगी।

अत: अनुरोध है कि तदनुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(डॉ.धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
प्रधान सचिव